
भर्ती
संबंधी
नियमावली
(1998)

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002

अनुक्रमणिका

| क्र. सं० | पद | स्वीकृत पदों की सं० | पृष्ठ संख्या |
|----------|---|---------------------|--------------|
| 1 | अधिसूचना | एक | 1-2 |
| 2 | निदेशक | एक | |
| 3 | उप-निदेशक (प्रशासन) | दो | |
| 4 | उप-निदेशक (समन्वय एवं अनुसंधान/कार्यक्रम) | दो | |
| 5 | सहायक निदेशक (प्रशासन/वित्त) | एक | |
| 6 | सहायक निदेशक (विज्ञान) | एक | |
| 7 | सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) | एक | |
| 8 | अनुभाग अधिकारी | एक | |
| 9 | सहायक लेखा अधिकारी | एक | |
| 10 | कार्यालय सहायक | चर | |
| 11 | निदेशक के व्यक्तिगत सहायक | एक | |
| 12 | उच्च श्रेणी लिपिक | छः | |
| 13 | निम्न श्रेणी लिपिक | बारह | |
| 14 | हिन्दी अनुवादक | एक | |
| 15 | कनिष्ठ आशुलिपिक | चार | |
| 16 | भण्डार पर्यवेक्षक | एक | |
| 17 | संग्रहालय मार्गदर्शक | एक | |
| 18 | प्रभारी अधिकारी | पाँच | |
| 19 | सृजनात्मक कला प्रमुख | एक | |
| 20 | दृश्य श्रुत्य प्रमुख | एक | |
| 21 | अन्वेषक क्लब संयोजक | एक | |
| 22 | कार्यक्रम संयोजक | एक | |
| 23 | प्रबंधक – प्रकाशन | एक | |
| 24 | सुरक्षा अधिकारी सह अभिरक्षक | एक | |
| 25 | कार्यक्रम सहायक | एक | |
| 26 | कलाकार-प्रकाशन | एक | |
| 27 | वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष सह अनुदेशक | एक | |
| 28 | कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष सह अनुदेशक | एक | |

| | | |
|----|---|------|
| 29 | वरिष्ठ अनुदेशक | सात |
| 30 | वरिष्ठ अनुदेशक (रेडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) | एक |
| 31 | वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/अनुसंधान सहायक सह मार्गदर्शक | दो |
| 32 | सहायक प्रबंधक (अभिनय कला) | एक |
| 33 | कलाकार सहायक अभिनय कला | चौदह |
| 34 | वरिष्ठ कलाकार | दो |
| 35 | कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (संग्रहालय) | एक |
| 36 | कनिष्ठ अनुदेशक/कनिष्ठ मॉडलर (एन टी आर सी)/ कनिष्ठ कलाकार (संग्रहालय) | बाईस |
| 37 | पर्यवेक्षक बाल भवन केन्द्र (वरिष्ठ ग्रेड) | एक |
| 38 | पर्यवेक्षक बाल भवन केन्द्र | चार |
| 39 | छात्रावास वार्डन | एक |
| 40 | सहायक छात्रावास वार्डन | एक |
| 41 | रसोईया | एक |
| 42 | गेस्टेटनर आपरेटर | एक |
| 43 | कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर | एक |
| 44 | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | एक |
| 45 | इलैक्ट्रिशियन | दो |
| 46 | कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन | एक |
| 47 | वरिष्ठ कारपेन्टर | एक |
| 48 | कनिष्ठ कारपेन्टर | एक |
| 49 | मेसन | एक |
| 50 | तकनीकी सहायक | चार |
| 51 | पुस्तकालय अनुचर | एक |
| 52 | लोकोमोटिव ड्राईवर | एक |
| 53 | स्टेशन मास्टर | एक |
| 54 | ड्राईवर | नौ |
| 55 | बस कन्डक्टर सह क्लीनर | चार |
| 56 | पशु-पालक | चार |
| 57 | माली | दस |
| 58 | चपरासी/हैल्पर/अनुभाग/परिचालक/ग्राउण्डमैन/बेलदार | तेरह |
| 59 | सफाईवाला | तेरह |
| 60 | चौकीदार | तेरह |

अधिसूचना

राष्ट्रीय बाल भवन के सेवा सम्बंधी उप-नियमों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाल भवन का प्रबन्धन मण्डल एतद्वारा राष्ट्रीय बाल भवन में विभिन्न पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करना है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ तिथि :

i) इन नियमों को राष्ट्रीय बाल भवन (भर्ती) नियमावली, 1998 कहा जाएगा।

ii) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रभाव क्षेत्र :

ये नियम इस नियमावली की संलग्न तालिका के कालम 1 में यथा-विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान

उपरोक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उपरोक्त तालिका के कालम 2 से 4 में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती सम्बंधी प्रक्रिया, आयु सीमा एवं अर्हता आदि

उक्त पदों के सम्बंध में भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हता आदि उपरोक्त तालिका के कालम 5 में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगी।

5. पदोन्नतियां

कनिष्ठ ग्रेड से वरिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति, जहां आवश्यक हो, अनुसूची 11 में यथा उपबन्धित रूप में होगी। पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में संगत विषयों का चयन करते हुए उन्हें सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत संयोजित किया जाएगा और कार्यालय आदेश के माध्यम से इसकी पृथक से जारी की।

6. अनर्हता : ऐसा कोई व्यक्ति

क) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहने के दौरान विवाह अथवा अनुबंधित विवाह कर लिया हो, अथवा

ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति/स्त्री से विवाह कर लिया हो, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

7. छूट प्रदान करने सम्बंधी शक्तियां

जहां राष्ट्रीय बाल भवन के प्रबन्धन मण्डल की राय में यह आवश्यक अथवा ऐसा करना द्रुतगामी हो, ऐसे कारणों को अभिलेखों में दर्ज करते हुए किसी पद के वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बंध में, मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त के साथ इस नियमावली के किसी उपबन्ध से छूट प्रदान कर सकता है। असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों तथा विख्यात पारंपरिक कलाकारों के मामले में चयन समिति को बाल भवन मण्डल में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अकादमिक योग्यता से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

विशेष

इस नियमावली में अन्तर्विष्ट कोई भी उपबन्ध केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों के सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों में किए गए पदों के आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। इस नियमावली में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के बावजूद भी प्रशासनिक समान सुविधा के लिए समान पदों को संयोजित पदों के लिए आरक्षण रोस्टर को पृथक से रख-रखाव जारी रहेगा, चूंकि ये संगत कार्यक्षेत्र में स्वतन्त्र पद है। राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के मामले में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व लागू नहीं होगी।

(डा० मधु पंत)
निदेशक

संशोधन-पूर्व वेतनमान

5वें वेतन आयोग की सिफारिशों
के अनुसार संशोधित वेतनमान

| | |
|--|--------------------------|
| 1. रू.4500-150-5700 | रू. 14300-400-18300 |
| 2. रू. 3000-100-3500-125-4500 | रू. 10000-325-15200 |
| 3. रू. 2200-75-2800-दक्षता रोक-100-4000 | रू. 8000-275-13500 |
| 4. रू. 2000-60-2300-दक्षता रोक-75-3200 / 3500 | रू. 6500-200-10500 |
| 5. रू. 1640-60-2600-दक्षता रोक-75-290 | रू. 5500-175-9000 |
| 6. रू. 1400-40-1600-50-2300-दक्षता रोक-60-2600 | रू. 5000-150-8000 |
| 7. रू. 1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300 | रू. 4500-125-7000 |
| 8. रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040 | रू. 4000-100-6000 |
| 9. रू. 1150-25-1500 रू. 950-20-1150-दक्षता रोक - 25-1500 रू. 950-20-1150दक्षता रोक-25-1400 | रू. 3050-75-3950-80-4590 |
| 10. रू. 800-15-1010-दक्षता रोक-20-1150 | रू. 2650-65-3300-70-4000 |
| 11. रू. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940 | रू. 2550-55-2660-60-3200 |

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : निदेशक
2. पद की संख्या : एक (1998)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में समूह 'क' के समकक्ष
4. वेतनमान : रू. 4500-150-5700
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
7. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 50 वर्ष
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्तानकोत्तर अथवा समकक्ष उपाधि।
 - (ii) वेतनमान रू. 3700-5000 में बच्चों के साथ काम करने का 5 वर्ष का अनुभव।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में (रू.3000-4500 के वेतनमान में) 10 वर्ष का समान अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव किसी संगठन अथवा प्रशासनिक क्षमता का होना चाहिए।
 - (iii) सृजनात्मक कला, शिल्प, विज्ञान, रंगमंच आदि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त योगदान।वांछनीय
 - (i) कला, विज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में पी.एच.डी की उपाधि।
 - (ii) सरकारी नियमों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान।
 - (iii) किसी सांस्कृतिक शैक्षणिक समितियों के व्यावसायिक संगठन एवं एसासिएशन की सदस्यता।
 - (iv) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन आदि के आयोजन का अनुभव।

9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु व शैक्षणिक योग्यताओं की शर्त। : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : दो वर्ष बशर्ते नियुक्ति प्राधिकारी, किसी विशेष मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इस अवधि में कभी अथवा परीवीक्षा अवधि का विस्तार, जो एक वर्ष में अधिक न हो, कर सकता है।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, पदोन्नति किस ग्रेड से की जानी है। : लागू नहीं।
13. चयन समिति की संरचना (i) अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल भवन की अथवा उनके द्वारा मनोनीत निदेशक मंडल का कोई सदस्य (इस समिति का अध्यक्ष होगा)।
(ii) शिक्षा सचिव अथवा उनका कोई प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।
(iii) शिक्षा, कला, संस्कृति, बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि के तीन अन्य सुविख्यात सदस्यों को राष्ट्रीय बाल भवन के प्रबन्धन-मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
नोट : यदि शिक्षा सचिव चयन समिति की बैठक में स्वयं भाग ले रहे हो, तो वे चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : उप-निदेशक (प्रशासन)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्य भार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में समूह 'क' के अनुरूप
4. वेतनमान : रू. 3000-100-3500-125-4500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 45 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : योग्यता
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी निकाय में नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान।
प्रशासनिक कार्य का 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव किसी ख्याति प्राप्त संगठन में किसी उत्तरदायित्व पद पर होना चाहिए।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु — नहीं।
शैक्षणिक योग्यता — हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष बशर्ते नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्तिगत मामले में विधिवत रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, इससे छूट, इसमें कभी अथवा इसका विस्तार कर सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार विभाग/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : पदोन्नति द्वारा
सहायक निदेशक (प्रशासन) अथवा सहायक निदेशक (वित्त) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूरी कर चुका हो,

अथवा
सहायक निदेशक (वित्त)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

केन्द्र सरकार/भारत सरकार द्वारा पूर्णतः
वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों/
विश्वविद्यालय/अन्य संस्थानों के अधिकारी।

(i) नियमित रूप से समान पर व वेतनमान का
धारक।

अथवा

वेतनमान 2200-4000 में पदों पर 5 वर्ष की
सेवावधि पूरी कर चुके अधिकारी।

अथवा

वेतनमान 2000-3500 अथवा समकक्ष में पदों
पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
तथा प्रशासनिक अनुभव (प्रतिनियुक्ति की
अवधि, जिसमें इस नियुक्ति के तत्काल पहले
किसी अन्य पूर्व संवर्ग पद पर उसी अथवा
पहले किसी संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग
में साधारणतः तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी)

आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि के
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक
नहीं होगी।

13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन
समिति की संरचना

विभागीय पदोन्नति समिति

(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।

(ii) राष्ट्रीय बाल भवन मंडल का एक सदस्य।

(iii) मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय,
शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव
स्तर से नीचे नहीं होगा।

चयन समिति

(i) राष्ट्रीय बाल भवन के मंडल का एक सदस्य
(समिति के प्रमुख होंगे)।

(ii) निदेशक।

(iii) राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा सन्दर्भित पद
के अनुरूप पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को
मनोनीत किया जाएगा।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों
में संघ लोक सेवा आयोग से
मशविरा किया जाना है।

: लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : उप-निदेशक(समन्वय एवं अनुसंधान/ कार्यक्रम)
2. पद की संख्या : दो (1968)
समन्वय एवं अनुसंधान और कार्यक्रम प्रत्येक के लिए एक पद।
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'क' के समान
4. वेतनमान : रू. 3000-100-3500-125-4500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 45 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मानवीकी विज्ञान अथवा शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ii) बच्चों के साथ काम करने तथा बाल मनोविज्ञान अथवा बच्चों के बीच सृजनात्मकता के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रकाशनों की सूची/दस्तावेजों से अनुसमर्थित अनुभव का 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i) कला, विज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में पी.एच.डी की उपाधि।
(ii) किसी फाईन आर्ट्स में दक्षता।
(iii) सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित सरकारी संस्थान में बच्चों के व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित क्षेत्रों में प्रकाशन अथवा अध्यापन का अनुभव।
(iv) कम्प्यूटर का कामकाजी ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता - हाँ।

10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष। यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए इससे छूट, परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा विस्तार प्रदान कर सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार विभाग/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : सहायक निदेशक (कार्यक्रम), सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), सहायक निदेशक (विज्ञान) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाला व्यक्ति।
उसके पास कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव होना चाहिए। (केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में उसकी विगत अन्य पूर्व संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य।
(iii) मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव स्तर से कम न हो।
चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन के मंडल का एक मंडल – सदस्य (समिति का प्रमुख होगा)।
(ii) निदेशक।
(iii) राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा सन्दर्भित पद के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों का मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (प्रशासन/वित्त)
2. पद की संख्या : दो (1998)
(प्रशासन एवं वित्त प्रत्येक के लिए एक पद)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'क' के समान
4. वेतनमान : रू. 2200-75-2800-दक्षता रोक - 1000-4000)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि।
(ii) वेतनमान रू. 2000-3500 अथवा 2000-3200 अथवा इसके समान पद में प्रशासनिक/वित्त का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी निकायों में नियम, विनियम तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता - हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष। यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए इससे छूट परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा विस्तार प्रदान कर सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार के विभाग/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। :
- वेतनमान रू. 2000-3200 में 5 वर्ष के अनुभव के साथ अनुभाग अधिकारी अथवा वेतनमान रू. 1640-2900 में सहायक के रूप में 10 वर्ष का सेवाकाल।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना :
- विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
- (ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल - सदस्य।
- (iii) मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो अवर-सचिव स्तर से कम न हो।
- चयन समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल - सदस्य (समिति के प्रमुख होंगे)।
- (ii) निदेशक।
- (iii) राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा सन्दर्भित पद के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों का मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (विज्ञान)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'क' के समान
4. वेतनमान : रू. 2200-75-2800-दक्षता रोक-1000-4000)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 40 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी विख्यात संस्थान में कार्य करने के न्यूनतम 8 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी.।
(ii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
(iii) विभिन्न वैज्ञानिक प्रतिनिधियों/कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वैज्ञानिक तत्परता एवं अमूल्य संसाधनों के दोहन की सामर्थ्य।
(iv) पर्यावरण विषयों के प्रति संवेदनशीलता।
वांछनीय
(i) विज्ञान की किसी शाखा में पी.एच.डी. की उपाधि।
(ii) विख्यात पत्रिका अथवा जर्नल में प्रकाशित लेख अथवा वैज्ञानिक प्रकाशित साहित्य का सृजन।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता - हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।
यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए इससे छूट परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा विस्तार प्रदान कर सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार के विभाग/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 2000–3200 में 5 वर्ष की सेवावधि के साथ प्रभारी अधिकारी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
 (ii)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य।
 (iii)मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो अवर–सचिव स्तर से कम न हो।
चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य (समिति के प्रमुख होंगे)।
 (ii)निदेशक।
 (iii)राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा सन्दर्भित पद के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों का मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'क' के समान
4. वेतनमान : रू. 2200-75-2800-दक्षता रोक-1000-4000)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 40 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के मानविकी, विज्ञान अथवा शिक्षा में स्तानकोत्तर उपाधि।
(ii)किसी सरकारी/स्वायत्तशासी अथवा विख्यात संस्थान में बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा शिक्षा संचालित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)बाल केन्द्रीत अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े स्कूल अध्यापकों एवं कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा दक्षता विकसित करने की सामर्थ्य।
(iv)अंग्रेजी एवं हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)अनौपचारिक शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, बाल विज्ञान, सृजनात्मकता अथवा अन्य सम्बद्ध विषय में पी.एच.डी की उपाधि।
(ii)किसी विख्यात संस्थान में अनौपचारिक अथवा सृजनात्मक शिक्षा के लिए कार्य करने का अनुभव।
(iii)उन्होंने कतिपय लेख प्रकाशित कराये हों।

9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु – कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता – हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष, यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए इससे छूट परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा विस्तार प्रदान कर सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार के विभाग/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1640–2900 में संगत क्षेत्र/विषय पर 10 वर्ष का अनुभव।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य।
(iii)मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो अवर-सचिव स्तर से कम न हो।
चयन समिति
(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii)निदेशक।
(iii)राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा सन्दर्भित पद के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों का मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : अनुभाग अधिकारी
2. पद की संख्या : एक (1998)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'क' के समान
4. वेतनमान : रू. 2000-60-2300-दक्षता रोक-75-3200)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में केन्द्र सरकार के विभाग / विश्वविद्यालय / स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : पदोन्नति
वेतनमान रू. 1640-2900 में 8 वर्ष नियमित सेवा के साथ सहायक।
निदेशक के व्यक्तिगत सहायक।
13. विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल - सदस्य।
(iii) उप-निदेशक।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सहायक लेखा अधिकारी
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 2000-60-2300-दक्षता रोक-75-3200)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति के अभाव में सरकारी विभाग/विश्वविद्यालय के लेखा/स्वायत्तशासी निकायों/अंकेक्षण कक्ष से सामान्य शर्तों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : पदोन्नति के लिए लेखा अनुभाग में सहायक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा को अर्हता होगी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल – सदस्य।
(iii)उप-निदेशक।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : कार्यालय सहायक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600-दक्षता रोक-75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : (i) उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा।
(ii) भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकायों से सम्बंधित नियमों का ज्ञान।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल - सदस्य।
(iii) उप-निदेशक।
(iv) संबंधित अनुभाग का प्रभारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : निदेशक के व्यक्तिगत सहायक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600- दक्षता रोक-75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा तथा अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति तथा 45 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हासिल कर ली हो।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(iii) उप-निदेशक (प्रशासन)।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : उच्च श्रेणी लिपिक
2. पद की संख्या : छः (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i)उप-निदेशक (प्रशासन) (समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)सहायक निदेशक (प्रशासन)।
(iii)सहायक निदेशक (वित्त)।
(iv)संबंधित अनुभाग का प्रभारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : निम्न श्रेणी लिपिक
2. पद की संख्या : बारह (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 950-20-1150-दक्षता रोक-25-1500)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 18 से 25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 25 वर्ष की छूट दी जा सकेगी)।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) अंग्रेजी/हिन्दी में 30/25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अथवा डाटा एन्ट्री एवं कम्प्यूटर में शब्द संसाधन की दक्षता हासिल हो।
(iii) हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता : हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष, यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए इससे छूट, अवधि में कभी अथवा विस्तार प्रदान कर सकता है, जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : (i) सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत
(ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां रू. 750-940 के वेतनमान में ऐसे स्टाफ में से भरी जाएंगी जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा हासिल कर ली हो और उन्होंने राष्ट्रीय बाल भवन में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूरी कर ली हो। परीक्षा के लिए

पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अ.जा. /अ.ज.जा. उम्मीदवार के मामले में 50 वर्ष) होगी। यदि स्टाफ परीक्षा में सफल नहीं होते, तो रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। :
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना :
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- पदोन्नति जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।
- विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक (प्रशासन)
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक (प्रशासन)।
(iii) सहायक निदेशक (वित्त)।
(iv) संबंधित अनुभाग का प्रभारी।
- चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक प्रबन्धक।
- अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
(iv) एक विद्वान व्यक्ति।
- लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : भण्डार पर्यवेक्षक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600- दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : पदोन्नति
राष्ट्रीय बाल भवन में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति
किसी सरकारी अथवा स्वायत्तशासी संगठन में स्टोर विभाग के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा सरकारी विभाग अथवा स्वायत्तशासी संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(iii) संबंधित उप-निदेशक।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : कनिष्ठ आशुलिपिक
2. पद की संख्या : चार (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560- दक्षता स्तर -40-2040)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 18 से 25 वर्ष के बीच
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) अंग्रेजी/हिन्दी में आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता : हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक (प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक (प्रशासन)।
(iii) संबंधित अनुभाग का प्रभारी।

चयन समिति

(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)

(ii)निदेशक।

(iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग के प्रभारी अधिकारी।

14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

:

लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : हिन्दी अनुवादक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1400-40-1800-दक्षता रोक -50-2300)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी विषय।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्य विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण।
अथवा
हिन्दी एवं अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में स्नातक की उपाधि।
अथवा
इनमें से किसी एक भाषा में परीक्षा दी हो तथा अन्य भाषा मुख्य विषय के रूप में ली गई हो तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र एवं भारत सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।

9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : दो वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इसमें कटौती।
अथवा
परीवीक्षा अवधि का विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
अथवा
अनुभाग के प्रभारी अधिकारी।
(iv) एक योग्य व्यक्ति।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : प्रमुख, सृजनात्मक कला
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600- दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कला/शिल्प/व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।
(ii) सृजनात्मक कला में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
बच्चों/अध्यापकों के लिए नवोन्मेषी एवं सृजनात्मक कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कभी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। :
- वेतनमान रू. 1400–2300 अथवा समतुल्य में 8 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र/विषय पर कार्यरत कोई वरिष्ठ अनुदेशक/वरिष्ठ कलाकार।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना :
- विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(iii) संबंधित उप-निदेशक।
- चयन समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- लागू नहीं।

1. पद का नाम : दिग्दर्शक (संग्रहालय)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 2000-60-2300- दक्षता रोक-75-3200)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 40 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कला/शिल्प/व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।
(ii) सृजनात्मक कला में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) बच्चों के लिए नवोन्मेषी प्रदर्शनी की योजना एवं प्रारूप तैयार करने में समर्थ होना चाहिए।
(iv) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम जैसे कला, शिल्प, विज्ञान और खेलकूद में अभिरुचि।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कभी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में राष्ट्रीय बाल भवन की तुलना में सरकारी विभाग अथवा स्वायत्तशासी संगठन का कार्यशील कोई उपयुक्त अधिकारी सामान्य शर्तों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1640-2900 में 5 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र/विषय पर कार्यरत कोई व्यक्ति अथवा वेतनमान रु. 1400-2300 अथवा समतुल्य में 10 वर्ष के अनुभव के साथ कार्यरत कोई कर्मचारी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (iv) संबंधित उप-निदेशक।
चयन समिति
 (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) निदेशक।
 (iii) सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : प्रभारी अधिकारी
2. पद की संख्या : पाँच (1998)
(फोटोग्राफी, परफॉर्मिंग आर्ट, आन्तरिक गतिविधि, राष्ट्रीय स्रोत प्रशिक्षण केन्द्र तथा बाल भवन केन्द्र में प्रत्येक एक पद)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ख' के समान
4. वेतनमान : रू. 2000-60-2300-दक्षता रोक
-75-3200-100-3500)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 40 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
(ii) सृजनात्मक कला में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
बच्चों/अध्यापकों के लिए नवोन्मेषी एवं सृजनात्मक कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कभी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1400–2300 अथवा समतुल्य में 8 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र/विषय पर कार्यरत कोई वरिष्ठ अनुदेशक/वरिष्ठ कलाकार।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (iii) संबंधित उप-निदेशक।
चयन समिति
 (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) निदेशक।
 (iii) सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : प्रमुख दृश्य-श्रव्य
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600-दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
(ii)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा तथा दृश्य-श्रव्य उपकरणों के रख-रखाव का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)दृश्य-श्रव्य फिल्मों की उत्पाद तकनीकों का ज्ञान।
(ii)फाईन आर्ट, नृत्य, नाटक, संगीत, खेलकूद, विज्ञान आदि जैसे अभिव्यक्ति की अन्य विधाओं में अभिरुचि।
(iii)वीडियो फोटोग्राफी के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों के शिक्षण एवं प्रेरित करने के प्रति अभिरुचि।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कभी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1400-2300 अथवा समतुल्य में संगत विधा में कार्यरत 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाला कर्मचारी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (iii) संबंधित उप-निदेशक।
चयन समिति
 (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) निदेशक।
 (iii) सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : अन्वेषक क्लब संयोजक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600-दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) मुख्य विषय के रूप में रसायन एवं भौतिकी के साथ बी-एफ सी
अथवा
मैकेनिक/इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/
इलैक्ट्रानिक्स में पॉलीटेक्नीक से
3 वर्ष का डिप्लोमा।
(ii) बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि व्यूत्पन्न करने में सामर्थ्य तथा विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के बहुमूल्य संसाधनों के उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। बच्चों को नवोन्मेषी विज्ञान परियोजनाओं को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने की योग्यता होनी चाहिए।
(iv) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i) पर्यावरण से सम्बंधित गतिविधियों में दिलचस्पी।
(ii) कला तथा मानवीकी में सामान्य दिलचस्पी।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ

- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1400–2300 अथवा समतुल्य में संगत क्षेत्र/विधा में कार्यरत 8 वर्ष से कार्यरत नियमित सेवावधि वाला व्यक्ति।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक।
चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : कार्यक्रम संयोजक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रु. 1640-60-2600-दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मानवीकी अथवा विज्ञान में स्नातक की उपाधि।
(ii) बच्चों के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित करने का 5 वर्ष का अनुभव
अथवा
जन सम्पर्क का अनुभव।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i) अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कार्यशालायें लगाने/संचालित करने का अनुभव।
(ii) परफार्मिंग आर्ट, हस्तशिल्प/साहित्यिक गतिविधियों का ज्ञान/अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1400-2300 अथवा इसके समान वेतनमान में संगत क्षेत्र/विधा में 5 वर्ष के अनुभव के साथ कार्यरत कोई व्यक्ति।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : प्रतिनियुक्ति
- (i) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत संगत क्षेत्र में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नियमित आधार पर समान पद-समान वेतनमानधारी कोई अधिकारी।
- (ii) संगत क्षेत्र में वेतनमान 1400-2300 अथवा समतुल्य में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाला व्यक्ति।
- विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
- (iii) संबंधित उप-निदेशक।
- चयन समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) निदेशक।
- (iii) सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : प्रबन्धक प्रकाशन
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1640-60-2600-दक्षता रोक -75-2900)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा विज्ञान में स्नातक।
(ii)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा व किसी व्यवसायिक अथवा सरकारी प्रकाशन एवं मुद्रण प्रतिस्थापन में सम्पादन, उत्पादन, योजना एवं मुद्रण का पर्यवेक्षण, मोनोग्राफ एवं रिपोर्टों के कार्य में दायित्व क्षमता में 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i) व्यावसायिक आर्ट में डिप्लोमा।
(ii) बाल साहित्य के प्रकाशन का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1400-2300 अथवा इसके समान वेतनमान में संगत क्षेत्र/विधा में 5 वर्ष के अनुभव के साथ कार्यरत कोई व्यक्ति।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : प्रतिनियुक्ति
सरकारी प्रैस/स्वायत्तशासी निगमों में समान पद एवं समान वेतनमान में कार्यरत व्यक्ति।
विभागीय पदोन्नति समिति
(i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(iii)संबंधित उप-निदेशक।
चयन समिति
(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)निदेशक।
(iii)सन्दर्भाधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : कलाकार (प्रकाशन)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1400-40-1600-50-2300-दक्षता रोक
-60-2600)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सृजनात्मक आर्ट/व्यावसायिक आर्ट में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान में स्नातक की उपाधि
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्ट/व्यावसायिक आर्ट में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
वांछनीय
(i)विज्ञान, खेलकूद, ड्रामा, संगीत आदि जैसे अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम में दिलचस्पी।
(ii)बच्चों के साथ काम करने के अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता : हाँ
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में भारत सरकार के विभाग केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1200-2040 अथवा इसके समान वेतनमान में में 8 वर्ष के सेवाकाल के साथ संगत क्षेत्र/विधा में कार्यरत।
प्रतिनियुक्ति
संगत विधा में केन्द्र सरकार में समान वेतनमान और समान पदों पर नियमित रूप में कार्यरत अधिकारी।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) संबंधित उप-निदेशक।
(iii) संबंधित अनुभाग के प्रभारी।
चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : प्रोडक्शन सहायक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान :
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा विज्ञान में स्नातक।
(ii)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)मुद्रण/पुस्तक, पत्रिका आदि के प्रकाशन का अनुभव।
(ii)व्यावसायिक आर्ट में डिप्लोमा।
(iii)प्रोडक्शन और प्रकाशन लागत की गणना तथा अनुमान लगाने की सम्पूर्ण जानकारी।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सुरक्षा अधिकारी-सह-केयरटेकर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1640-60-2600-दक्षता रोक-75-2900
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक।
(ii)सुरक्षा तथा रख-रखाव कार्य में सम्बंधित न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)उत्तम स्वास्थ्य के साथ-साथ आपात स्थितियों से निपटने की सामर्थ्य।
(iv)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
पूर्व-सैनिक।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।

13. विभागीय पदोन्नति समिति / चयन
समिति की संरचना

:

चयन समिति

(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल—सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)

(ii) निदेशक।

(iii) सन्दर्भधीन पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि
वाले दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन
मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

:

लागू नहीं।

1. पद का नाम : वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/अनुसंधान सहायक-सह-मार्गदर्शक (संग्रहालय)
2. पद की संख्या : दो (1998)
(वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/अनुसंधान सहायक-सह-मार्गदर्शक के लिए एक)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रु.1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
अनिवार्य
(i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
(ii)संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा।
(iii)संग्रहालय में काम करने का दो वर्ष का अनुभव।
(iv) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।
(ii)बच्चों के लिए नवोन्मेषी प्रदर्शनियों की योजना एवं डिजाईन तैयार की योग्यता होनी चाहिए।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1200—2040 अथवा समतुल्य में 5 वर्ष के सेवाकाल के साथ संगत क्षेत्र/विधा में कार्यरत व्यक्ति।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) संबंधित उप-निदेशक।
(iii) क्यूरेटर (संग्रहालय)
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : सहायक प्रबन्धक परफोर्मिंग आर्ट
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1600-50-2300-दक्षता रोक-60-2660
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी परफोर्मिंग आर्ट में डिप्लोमा।
(ii) बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।
(iii) अत्यन्त सृजनात्मक होना चाहिए और संगीत, नृत्य, ड्रामा, कठपुतली कला, परफोर्मिंग आर्ट, पारम्परिक कला, वाद्य संगीत के प्रति रुझान हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करने में समर्थ होना चाहिए।
(iv) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
कला, शिल्प, खेलकूद, विज्ञान आदि जैसे क्षेत्र में अभिव्यक्ति की अन्य विधा में अभिरूचि।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता - हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा, और ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1400–2300 अथवा समतुल्य में 8 वर्ष के सेवाकाल के साथ संगत क्षेत्र/विधा में कार्यरत व्यक्ति।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
 (ii)संबंधित उप-निदेशक।
 (iii)संबंधित अनुभाग के प्रभारी अधिकारी
चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
 (iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : वरिष्ठ अनुदेशक (रेडियो एवं इलैक्ट्रानिक्स)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो एवं इलैक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय डिप्लोमा।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
(ii)बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
नवोन्मेषी दृष्टिकोण तथा संगत विषय से सम्बद्ध छोटी परियोजना मॉडल बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने में समर्थ होना चाहिए।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)निदेशक।
(iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
(iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : वरिष्ठ अनुदेशक
2. पद की संख्या : सात (1998)
(सृजनात्मक कला, समन्वित क्रियाकलाप, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र, शारीरिक शिक्षा, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर एवं पर्यावरण प्रत्येक के लिए एक पद)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1400-40-1800-दक्षता
रोक-50-2300/2600
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक
(ii)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगत विधा में डिप्लोमा।
(iii)दायित्वपूर्ण क्षमता में बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iv) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
अत्यन्त सृजनात्मक, नवोन्मेषी होने के साथ-साथ मनोरंजन एवं सृजनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना व बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं।
शैक्षणिक योग्यता - हाँ।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू. 1200-2040 अथवा इसके समतुल्य में संगत क्षेत्र/विधा में 5 वर्ष की सेवावधि के साथ कार्यरत कोई व्यक्ति।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
 (ii)उप-निदेशक/सहायक निदेशक (प्रशासन)
 (iii)संबंधित अनुभाग के प्रभारी अधिकारी
चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
 (iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : कनिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष-सह-अनुदेशक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रु.1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं ।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष ।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।
(ii) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा ।
वांछनीय
(i) बच्चों के पुस्तकालय में काम करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव ।
(ii) बच्चों को साहित्य से लगाव एवं प्रेम करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहन देने में समर्थ होना ।
(iii) बच्चों को साहित्यिक गतिविधियों की तरफ मोड़ने में सृजनात्मक सोच होना ।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं ।
10. परीवीक्षा अवधि । : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती ।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य ।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)निदेशक ।
(iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति ।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं ।

1. पद का नाम : वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष-सह-अनुदेशक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1640-60-2600-दक्षता रोक-75-2900
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 35 वर्ष।
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक।
(ii)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा पुस्तकालय के रख-रखाव का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
प्रलेखी साक्ष्य से अनुसमर्थित सृजनात्मक लेखन में अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता - हाँ
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में सामान्य शर्तों के अनुसार भारत सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।

12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। :
- रु. 1200-2040 के वेतनमान में सेवाकाल के 8 वर्ष उपरान्त के कनिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना :
- विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
(ii) संबंधित उप-निदेशक।
(iii) सहायक निदेशक (प्रशासन)।
- चयन समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) सन्दर्भित पद के लिए समुचित पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल भवन मंडल द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- लागू नहीं।

1. पद का नाम : वरिष्ठ कलाकार
2. पद की संख्या : एक (1998)
(संग्रहालय एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन के 3 प्रत्येक के लिए एक पद)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगत विधा में डिप्लोमा।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगत विधा में स्नातक।
(ii)बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)विज्ञान, साहित्य, खेलकूद आदि जैसे अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रुचि।
(ii)अत्यन्त नवोन्मेषी, सृजनात्मक होना चाहिए तथा प्रदर्शनियों की योजना एवं डिजाइन बनाने में योग्य होना चाहिए।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु - कोई नहीं
शैक्षणिक योग्यता - हाँ

- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में भारत सरकार के विभाग अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन से सामान्य शर्तों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रु. 1200-2040 अथवा समतुल्य में संगत क्षेत्र/विधा में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ काम कर रहे व्यक्ति।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i)निदेशक (समिति के प्रमुख होंगे)।
 (ii)संबंधित उप-निदेशक।
 (iii)संबंधित अनुभाग के प्रभारी।
 चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
 (iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : कलाकार परफोर्मिंग आर्ट
2. पद की संख्या : चौदह (1998)
(गिटार, कठपुतली कला, भरतनाट्यम/मोहिनीअट्टम, कंठ संगीत, लोक संगीत, परकरसन, लोक नृत्य, हार्मोनियम, पारंपरिक लोक संगीत, कोंगो-बोंगो, सितार, कथक, वायलन और ड्रामा प्रत्येक का एक पद)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगत विधा में डिप्लोमा
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगत विधा में स्नातक।
(ii)बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)कला, शिल्प, नृत्य, ड्रामा आदि जैसे अन्य अभिव्यक्ति प्रदर्शन में रुचि।
(ii)अत्यन्त सृजनात्मक होना चाहिए और बच्चों को संबंधित कला को सीखने एवं ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने में समर्थ होना चाहिए।

9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
 (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल—सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii) निदेशक।
 (iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
 (iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : पर्यवेक्षक, बाल भवन केन्द्र (वरिष्ठ ग्रेड)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : उसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, वेतनमान रू0 1200-2040 अथवा इसके समान वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)
(ii) संबंधित अनुभाग का प्रभारी अधिकारी
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : पर्यवेक्षक
2. पद की संख्या : चार (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से फाईन आर्ट में डिप्लोमा।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फाईन आर्ट में उपाधि।
(ii) बच्चों के साथ कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
वांछनीय
(i) एक अथवा दो फाईन आर्ट अथवा शिल्प, संगीत, नृत्य, नाटक आदि में अभिरुचि।
(ii) राष्ट्रीय बाल भवन के अन्तर्गत बाल भवन केन्द्रों के अंशकालीन निदेशकों को, जिनकी अंशकालीन अनुदेशक के रूप में 10 वर्ष की सेवावधि हो गई हो, निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं के अध्याधीन पर्याप्त महत्व दिया जाएगा।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।

- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
 (iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : पर्यवेक्षक बाल भवन केन्द्र
2. पद की संख्या : चार (1980)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.1200-30-1050-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।
(ii)बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)फाईन आर्ट्स अथवा शिल्प, संगीत, नृत्य, नाटक आदि में एक या अधिक में अभिरुचि।
(ii)राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के अन्तर्गत बाल भवन केन्द्र में अंशकालीन अनुदेशक के रूप में 10 वर्ष की अंशकालीन सेवा को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। यह निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करने के अध्याधीन है।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।

- 10.परीवीक्षा अवधि। : 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
 (iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : हॉस्टल वार्डन
2. पद की संख्या : एक
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में वेतनमान रू0 950-1500 में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि के साथ सहायक होस्टल वार्डन।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) संबंधित उप-निदेशक/संबंधित सहायक निदेशक।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : सहायक होस्टल वार्डन
2. पद की संख्या : एक
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.950-20-1150-दक्षता रोक-25-1500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii)होम मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा।
(iii)अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i)गृह विज्ञान में स्नातक।
(ii)बच्चों के छात्रावास में काम करने का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा/पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में

- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। :
- वेतनमान रू0 750-940 अथवा समकक्ष में 8 वर्ष की नियमित सेवावधि के साथ संगत कार्यक्षेत्र में सेवारत व्यक्ति और उसे खान-पान व कुकिंग का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना :
- विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल सदस्य (समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii)निदेशक।
- (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
- अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- लागू नहीं।

1. पद का नाम : रसोइया (कुक)
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 950-20-1150-दक्षता रोक-25-1400
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं।
शैक्षिक योग्यता : कोई नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा/पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू0 750-940 अथवा समकक्ष में 8 वर्ष की नियमित सेवावधि के साथ संगत कार्यक्षेत्र में सेवारत व्यक्ति और उसे खान-पान व कूकिंग का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i)निदेशक
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
(iii)अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
(iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।

चयन समिति

(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)

(ii)निदेशक।

(iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।

14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में : लागू नहीं।
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : गेस्टेटनर आपरेटर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.950-20-1150-दक्षता रोक-25-1400
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में रू0 800-1150 के वेतनमान में 50 वर्ष की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(ii) सहायक निदेशक (प्रशासन)
(iii) संबंधित अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू.800-15-1010-दक्षता रोक-20-1150
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में 5 वर्ष के अनुभव वाले चपरासी, अनुभाग सहायक, बेलदार, जिन्हें डुप्लीकेटिंग मशीन चढ़ाने और रख-रखाव में दक्षता प्राप्त हो।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i)उप-निदेशक (प्रशासन)
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)सहायक निदेशक।
(iii)अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : कनिष्ठ इंजीनियर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1400-40-1800-दक्षता रोक-50-2300
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और निर्माण कार्य एवं सिविल कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
(ii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डीडीए तथा एम ई एम से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन्हें निर्माण कार्य का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i)निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)उप-निदेशक (प्रशासन)।
(iii)संबंधित अनुभाग का प्रभारी।

चयन समिति

- (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)निदेशक।
(iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।

(iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।

14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

:

लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : इलैक्ट्रिशियन/स्टेज टेक्नीशियन-सह-इलैक्ट्रिशियन
2. पद की संख्या : दो (प्रत्येक के लिए दो पद)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : ₹.1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि : लागू नहीं।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में वेतनमान ₹0 950-1500 में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाले व्यक्ति जिनके पास इलैक्ट्रिकल काम के लिए कामगार लाइसेंस हो।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)।
(iii) संबंधित विभाग के प्रभारी।
चयन समिति
(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में : लागू नहीं।
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.950-20-1150-दक्षता रोक-25-1500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) इलैक्ट्रिशियन के क्षेत्र में आई टी आई इलैक्ट्रिकल कार्य के लिए कामगार का लाइसेंस।
(iii)उसके पास इलैक्ट्रिशियन का लाइसेंस आवश्यक होना चाहिए।
वांछनीय
(i)इलैक्ट्रिकल काम का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।

13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) निदेशक।
- (iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
- अथवा
- अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
- (iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। :
- लागू नहीं।

1. पद का नाम : कनिष्ठ कारपेन्टर
2. पद की संख्या : एक
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू.950-20-1150-दक्षता रोक-25-1400
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii)आई. आई.टी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।
(iii)कारपेन्ट्री कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू0 750-940 में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाला व्यक्ति तथा संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक (प्रशासन)।

(iii) अनुभाग अधिकारी।

(iv) संबंधित अनुभाग का प्रभारी।

चयन समिति

(i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)

(ii) निदेशक।

(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।

(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है।

:

लागू नहीं।

1. पद का नाम : वरिष्ठ कारपेंटर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1150-25-दक्षता रोक-1500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : गैर-चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में कनिष्ठ कारपेन्टर के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)
(iii) अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : मैसन
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू. 950-20-1150-दक्षता रोक-25-1400
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii)आई.टी.आई से प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।
(iii)मेसन के कार्यका न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : वेतनमान रू0 750-940 में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाला व्यक्ति तथा संबंधित कार्य क्षेत्र में अनुभव।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक (प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)सहायक निदेशक(प्रशासन)/ अनुभाग अधिकारी।
(iii)संबंधित अनुभाग का प्रभारी।

चयन समिति

- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) निदेशक।
(iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।

(iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

:

लागू नहीं।

1. पद का नाम : तकनीकी सहायक
2. पद की संख्या : चार (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू.950-20-1150-दक्षता रोक-25-1500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी अथवा समकक्ष तथा विज्ञान/इलैक्ट्रनिक्स/मैकेनिक में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।
अथवा
(ii) विज्ञान विषय के साथ सीनियर सैकण्डरी अथवा समतुल्य
(iii) अंग्रेजी और हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
वांछनीय
(i) विज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों में अभिरुचि।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : आयु : कोई नहीं
शैक्षिक योग्यता : हां
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती।

- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि वाले अनुचर अपेक्षित योग्यता के साथ /चपरासी /बेलदार।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति /चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)सहायक निदेशक।
(iii)संबंधित अनुभाग के प्रभारी।
चयन समिति
(i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)निदेशक।
(iii)संबंधित उप-निदेशक /सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
(iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : पुस्तकालय अटेंडेंट
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू. 950-20-1150-दक्षता रोक-25-1400
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं।
11. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : राष्ट्रीय बाल भवन में 5 वर्ष की सेवावधि के उपरांत समूह 'घ' के कर्मचारी।
न्यूनतम मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य हों और पद के अनुरूप दक्षता रखते हों।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) उप-निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक(प्रशासन)।
(iii) संबंधित अनुभाग के प्रभारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : लोको मोटिव ड्राईवर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : रेलवे विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)।
(iii) संबंधित प्रभाग के अधिकारी।

चयन समिति

- (i) राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) निदेशक।
- (iii) संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।

अथवा

अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।

- (iv) एक सुयोग्य व्यक्ति।

14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में : लागू नहीं।
संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा
किया जाना है।

1. पद का नाम : स्टेशन मास्टर
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 1200-30-1560-दक्षता रोक-40-2040
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : लागू नहीं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्ष की नियमित सेवा में समान पद-समान वेतन पर कार्यरत हो।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
(i) निदेशक।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)।
(iii) संबंधित अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : ड्राईवर
2. पद की संख्या : नौ (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 950-20-1150-दक्षता रोक-25-1500
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : चयन
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) मोटर कार के लिए वैद्य चालक लाइसेंस।
(ii) मोटर मैकेनिज्म की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में छोटी-मोटी मरम्मत करने में समर्थ होना चाहिए)।
(iii) मोटर चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
वांछनीय
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
नोट : अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव की अर्हता से छूट दी जा सकती है, यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उम्मीदवार के पास अपेक्षित अनुभव होना चाहिए इससे उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के मिलने की सम्भावना नहीं है तो
(ii) ड्राईवर को स्कूल बसें चलाने का अनुभव होना चाहिए।
(iii) होमगार्ड/सिविल वालेन्टियर के रूप में 3 वर्ष की सेवा।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।

- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : व्यक्ति के पास वैद्य चालक लाइसेंस तथा राष्ट्रीय बाल भवन में वेतनमान रु0 750-940 अथवा समतुल्य में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि होनी चाहिए।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
 (i) निदेशक।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)उप-निदेशक/सहायक निदेशक(प्रशासन)।
 (iii)संबद्ध अनुभाग का प्रभारी।
चयन समिति
 (i)राष्ट्रीय बाल भवन का एक मंडल-सदस्य।
 (समिति के प्रमुख होंगे)
 (ii)निदेशक।
 (iii)संबंधित उप-निदेशक/सहायक निदेशक।
 अथवा
 अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
 (iv)एक सुयोग्य व्यक्ति।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : बस-परिचालक-सह-क्लीनर
2. पद की संख्या : चार (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii)हिन्दी का ज्ञान।
वांछनीय
(i)भारी वाहन/हल्का मोटर वाहन/तिपहिया स्कूटर चालक का वैद्य लाइसेंस।
(ii)वाहन का रख-रखाव व छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।

13. विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति की संरचना : विभागीय पदोन्नति समिति
- (i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) एक अन्य सहायक निदेशक।
- (iii) अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : पशु पालक
2. पद की संख्या : एक (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii) पक्षियों एवं पशुओं की समुचित देखभाल का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
(iii) हिन्दी का ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक (विज्ञान)।
(iii) एक अन्य सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : माली
2. पद की संख्या : दस (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'ग' के समान
4. वेतनमान : रू. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii) नर्सरी कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव।
(iii) हिन्दी का ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii) सहायक निदेशक(प्रशासन)।
अथवा
एक प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : चपरासी / हैल्पर / कार्यालय अटेंडेन्ट / ग्राउण्डमैन / बेलदार
2. पद की संख्या : चौतीस (1998)
(चपरासी 3, हैल्पर 4, कार्यालय अटेंडेन्ट 10, ग्राउण्डमैन 3, बेलदार 8)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रु. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य।
वांछनीय
होम गार्ड और सिविल डिफेंस का बेसिक व रिफ्रेशन पाठ्यक्रम।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
10. परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
12. पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।

13. विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
- (i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) सहायक निदेशक(प्रशासन)।
- (iii) एक अन्य सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय बाल भवन

1. पद का नाम : सफाईवाला
2. पद की संख्या : तेरह (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रू. 750-12-870-दक्षता रोक-14-960
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii)हिन्दी का ज्ञान।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।
- 13.विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की संरचना : चयन समिति
(i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
(ii)सहायक निदेशक(प्रशासन)।
(iii)एक अन्य सहायक निदेशक।
अथवा
अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
- 14.भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।

1. पद का नाम : चौकीदार
2. पद की संख्या : तेरह (1998)
(कार्यभार पर निर्भर करते हुए उतार-चढ़ाव के अध्याधीन)
3. वर्गीकरण : केन्द्र सरकार में संवर्ग 'घ' के समान
4. वेतनमान : रु. 750-12-870-दक्षता रोक-14-940
5. क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद : लागू नहीं
6. सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा : 25 वर्ष
7. क्या सी.सी.एस(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवावधि को शामिल करने का लाभ है : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें : अनिवार्य
(i)8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
(ii)सुरक्षा कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।
(iii)हिन्दी का ज्ञान।
वांछनीय
(i)पूर्व सैनिक।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी? : लागू नहीं।
- 10.परीवीक्षा अवधि। : सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष, किंतु यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष मामले के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इससे छूट, इसमें कमी अथवा परीवीक्षा की अवधि में विस्तार कर सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 11.भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती।
- 12.पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति की जाएगी। : लागू नहीं।

13. विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति की संरचना : चयन समिति
- (i) उप-निदेशक(प्रशासन)।
(समिति के प्रमुख होंगे)
- (ii) सहायक निदेशक(प्रशासन)।
- (iii) एक अन्य सहायक निदेशक।
अथवा
- अनुभाग का प्रभारी अधिकारी।
14. भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किया जाना है। : लागू नहीं।